Popular Front of India

G-78, 2nd Floor, Shaheen Bagh, Kalindi Kunj, Noida Road, New Delhi- 110025
fb: https://www.facebook.com/PopularFrontofIndiaOfficial/ website: www.popularfrontindia.org
email: popularfrontmail@gmail.com Tel: 011- 29949902

28 अगस्त 2018 को कालीकट में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में जारी बयान

झारखण्ड हाई कोर्ट ने पॉपुलर फ्रंट पर से प्रतिबंध हटाया
हम संगठन के खिलाफ जारी सभी अलोकतांत्रिक कार्यवाहियों को रोकने की मांग करते हैं

झारखण्ड हाई कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में राज्य में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की गतिविधियों पर राज्य सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को ''मनमाना, अनुचित और कानून की पवित्रता के ख़िलाफ'' बताते हुए उसे रद्द कर दिया है। कोर्ट ने प्रतिबंध से जुड़े सभी मामलों को भी खारिज कर दिया है। सरकार ने एक जनआंदोलन पर आतंकवाद से संबंध सहित कई गंभीर आरोप लगाए थे, लेकिन वह कोर्ट के सामने कोई भी सबूत पेश नहीं कर सकी। इस तरह यह सच्चाई झारखण्ड सरकार की नापाक कोशिशों का पर्दा फाश करती है।

इस फैसले को केवल पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। बल्कि इसे अभिव्यक्ति की आज़ादी और संगठन बनाने की आज़ादी के संवैधानिक अधिकारों की हिफाज़त में एक महत्वपूर्ण न्यायिक हस्तक्षेप के रूप में हमेशा याद रखा जाना चाहिए। पॉपुलर फ्रंट पहला संगठन नहीं जिस पर राज्य में प्रतिबंध लगाया गया। बल्कि राज्य सरकार ने क्रिमिनल लॉ (संशोधन) ऐक्ट के अनुभाग 16 का ग़लत इस्तेमाल करते हुए बिना किसी कारण के राज्य में कई एक संगठनों को प्रतिबंधित किया है। अधिकतर मामलों में इस कारण प्रतिबंध का सामना करना पड़ा है क्योंकि उन्होंने सरकार के जनता–विरोधी और नव–उदारवादी एजेंडे पर सवाल उठाने का साहस किया। अतः यह फैसला विरोध की आवाज़ों को दबाने और उन्हें रोकने की केंद्र व राज्य सरकारों की कोशिशों के लिए एक खुली चुनौती है।

झारखण्ड में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी संगठन ने सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध पर कानूनी तरीके से जीत हासिल की है। झारखण्ड राज्य सरकार के खिलाफ पॉपुलर फ्रंट की कानूनी लड़ाई को मिली अनोखी जीत यक़ीनन न्याय के लिए जारी सभी लोकतांत्रिक संघर्षों को हौसला देती है। इससे न्यायपालिका पर जनता के भरोसे को काफी मज़बूती मिलेगी।

हम देश भर के उन सभी लोगों, सामाजिक व मानवाधिकार समूहों और सामुदायिक संगठनों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने प्रतिबंध के खिलाफ हमारा साथ दिया।

अब जबकि संगठन को बदनाम करने और उसकी गतिविधियों को रोकने की कोशिशें अभी भी जारी हैं, ऐसे में हम अधिकारियों और इस अभियान में शामिल मीडिया के एक वर्ग को यह बतलाना चाहते हैं कि पॉपुलर फ्रंट कानून की अदालत में अपना नाम साफ करके बाहर आ चुका है। इस फैसले को सामने रखते हुए हम केंद्र व राज्य सरकारों से पॉपुलर फ्रंट के खिलाफ सभी दमनकारी व अलोकतांत्रिक कार्यवाहियों को बंद करने की मांग करते हैं।

पॉपुलर फ्रंट के चेयरमैन ई. अबूबकर, महासचिव एम. मुहम्मद अली जिन्ना, राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद के सदस्य ई.एम. अब्दुर्रहमान और केरल प्रदेश अध्यक्ष नासिरूद्दीन एलामरम ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया।

एम. मुहम्मद अली जिन्ना
महासचिव
पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, नई दिल्ली